

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**पशुपालन और डेयरी विभाग**  
**लोकसभा**  
**तारांकित प्रश्न संख्या -371**  
**दिनांक 19 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न**

**राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम**

**\*371. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:**

**श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गाय डेयरी फार्मों के बारे में कोई आंकड़े रखती है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कुल पंजीकृत और अपंजीकृत डेयरी फार्मों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गांठदार त्वचा रोग के प्रकोप से प्रभावित डेयरी किसानों को संवितरित मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत वर्ष 2024-25 में राज्यवार और जिलावार कुल कितने मवेशियों की मौतें दर्ज की गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में टीकों और पशु चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत मुर्गीपालकों को शामिल करने का विचार है और यदि हाँ, तो इन्हें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**  
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम” के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

- (क) **पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार (GOI)** के पास डेयरी फार्मों के आंकड़ों को पंजीकृत करने और उनका रख-रखाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, विभाग (DAHD, GOI) ने देश में उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म के विकास और प्रसार के लिए सात केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF) स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं का उत्पादन करने और डेयरी किसानों के लिए गोजातीय पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 132 नस्ल वृद्धि फार्म (BMF) संस्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों (CCBF) और नस्ल वृद्धि फार्म (BMF) का विवरण **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।
- (ख) पशुपालन राज्य का विषय है। विभाग के पास लम्पीत्वचा रोग (LSD) से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है। हालाँकि, विभाग (DAHD, GOI) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) के अंतर्गत लंपी त्वचा रोग (LSD) टीकाकरण के लिए उनकी मांग के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक लगभग 30.41 करोड़ गोपशुओं की टीकाकरण किए गए हैं।
- (ग) राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), के अंतर्गत कवर किये गए रोग के कारण वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में रिपोर्ट की गई राज्यवार और जिलेवार गोपशुओं की कुल मृत्यु की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।
- (घ) एनएडीसीपी के अंतर्गत खुरपका-मुँहपका रोग (FMD), ब्रुसेल्लोसिस जैसे रोगों के लिए टीकाकरण शामिल है। टीकों और पशु चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा इस प्रकार है:
- टीकाकरण हेतु सहायक सामग्री की खरीद, टीकाकरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों को टीकाकरण संबंधी कार्यकलापों जैसे नमूना योजना तैयार करना, मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs), के अनुसार टीके की गुणवत्ता जांच, सीरो-निगरानी और सीरो-मॉनिटरिंग, परिसंचारी स्ट्रेन (circulating strain) की पहचान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - टीके की गुणवत्ता जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आईसीएआर संस्थानों के परामर्श से बनाई जाती है और परीक्षण नामित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाता है।
  - गुणवत्तापूर्ण टीके की केंद्रीकृत खरीद विभाग द्वारा की जाती है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाती है।
  - गुणवत्तापूर्ण टीके की आपूर्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से जिला/फोकल प्वाइंट पर की जाती है।
  - उपरोक्त के अलावा, विभाग द्वारा निम्नलिखित सहायता भी प्रदान की जाती है:
    - पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार पशु चिकित्सा टीका और औषधि उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने हेतु निवेश को प्रोत्साहित करना।
    - पशुरोगनियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एससीएडी) के अंतर्गत, निदान और नैदानिक किट/टीकों के उत्पादन के लिए रोग निदान प्रयोगशालाओं और जैविक उत्पादन इकाइयों (बीपीयू) को सुदृढ़ करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को साझा आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।
- (ड) विभाग (DAHD, GOI) ने वर्ष 2019 में “संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना” के तहत पोल्ट्री किसानों सहित सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा प्रदान की है। दिनांक 27.06.2025 तक, पोल्ट्री किसानों के लिए कुल 88,630 केसीसी प्रदान किए गए हैं।

**केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों का विवरण(CCBF)**

1. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), चिपलिमा, संबलपुर (ओडिशा)
2. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), सुनाबेड़ा, कोरापुट (ओडिशा)
3. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), सूरतगढ़ (राजस्थान)
4. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), धामरोड़, सूरत (गुजरात)
5. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), अलामाधी, चेन्नई (तमिलनाडु)
6. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), अंदेशनगर, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)
7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र, हेसरघट्टा, बैंगलोर (कर्नाटक)

नस्ल वृद्धि फार्मों का विवरण (BMF)

| राज्य           | बीएमएफ की संख्या |
|-----------------|------------------|
| आंध्र प्रदेश    | 21               |
| अरुणाचल प्रदेश  | 1                |
| बिहार           | 1                |
| छत्तीसगढ़       | 1                |
| गुजरात          | 16               |
| हरियाणा         | 2                |
| जम्मू और कश्मीर | 7                |
| कर्नाटक         | s                |
| केरल            | 2                |
| मध्य प्रदेश     | 4                |
| महाराष्ट्र      | 33               |
| राजस्थान        | 7                |
| तमिलनाडु        | 4                |
| तेलंगाना        | 10               |
| उत्तर प्रदेश    | 8                |
| उत्तराखंड       | 5                |
| पश्चिम बंगाल    | 1                |

अनुबंध -III

एफएमडी के संबंध में वर्ष 2024 के दौरान राज्य और जिलेवार रिपोर्ट की गई गोपशुओं की कुल मृत्यु की संख्या

| क्रम संख्या | राज्य         | जिले             | मृत गोपशुओं की संख्या | कुल मृत गोपशुओं की संख्या |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | गुजरात        | बनासकांठा        | 18                    | 19                        |
|             |               | राजकोट           | 1                     |                           |
| 2           | हरियाणा       | हिसार            | 113                   | 116                       |
|             |               | जींद             | 3                     |                           |
| 3           | हिमाचल प्रदेश | सिरमौर           | 7                     | 7                         |
| 4           | केरल          | अलाप्पुझा        | 1                     | 10                        |
|             |               | कुन्नूर          | 2                     |                           |
|             |               | एरानाकुलम        | 2                     |                           |
|             |               | कोट्टायम         | 3                     |                           |
|             |               | कासरगोड          | 2                     |                           |
| 5           | लद्दाख        | कारगिल           | 15                    | 15                        |
| 6           | महाराष्ट्र    | अहमदनगर          | 70                    | 70                        |
| 7           | ओड़िशा        | पुरी             | 3                     | 3                         |
| 8           | पंजाब         | बरनाला           | 51                    | 96                        |
|             |               | भटिंडा           | 14                    |                           |
|             |               | फरीदकोट          | 12                    |                           |
|             |               | श्रीमुक्तसरसाहिब | 9                     |                           |
|             |               | गुरदासपुर        | 7                     |                           |
|             |               | तरनतारन          | 2                     |                           |
|             |               | पटियाला          | 1                     |                           |
| 9           | राजस्थान      | हनुमानगढ़        | 37                    | 37                        |
| 10          | उत्तर प्रदेश  | लखीमपुरखीरी      | 3                     | 3                         |
|             | कुल           |                  | 376                   | 376                       |

एफएमडी के संबंध में वर्ष 2025 (जुलाई तक) के दौरान रिपोर्ट की गई गोपशुओं की कुल मृत्यु की संख्या

| क्रम संख्या | राज्य      | जिले   | मृत गोपशुओं की संख्या |
|-------------|------------|--------|-----------------------|
| 1           | महाराष्ट्र | सतारा  | 1                     |
| 2           | ओड़िशा     | खुर्दा | 1                     |
|             | कुल        |        | 2                     |

\*\*\*\*\*